संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव

अर्द्धशा0प0सं0– 497 / सत्तर–1–2018–16(3) / 2018
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1,
लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2018

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में प्रशासन तथा विद्यार्थियों के बीच समुचित संवाद स्थापित करने तथा छात्रों से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा समस्याओं को चिह्नित कर उनका समुचित समाधान समय रहते किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–सी0एम0–09 / सत्तर–1–2018–16(3) / 2018 दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त / निजी महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की गयी थी।

2– उक्त पत्र में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर विशेषतः छात्रावासों में अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखे जाने, छात्रावास वार्डन प्रोक्टोरियल बोर्ड एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने, कैंपस में सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कराये जाने, रैगिंग के माध्यम से उत्पीड़न पर रोक लगाये जाने, नियमित अन्तराल पर अभिभावकों के साथ मीटिंग कराये जाने आदि बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे हर संभव प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

3– राज्य विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र विनियमित किये जाने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 2018–19 दिनांक 05 जुलाई, 2018 से प्रारंभ करने तथा दिनांक 10 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह अपेक्षा है कि वर्णित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–सी0एम0–09 / सत्तर–1–2018–16(3) / 2018 दिनांक 11 जनवरी, 2018 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर प्रभावी अनुश्रवण कर लिया जाय तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 10 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व एक बैठक अवश्य कर ली जाय। बैठक में विचार–विमर्श के बिन्दुओं तथा उसके सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

सादर,

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)

कुलपति (नाम से),
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0 / 13988 / शासन विविध 1 / 2–2013 / 2018(Vol.-2) दिनांक: 09 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति–मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य / प्रबंधक, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि योजना के सम्बन्ध में उक्त पत्र के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड कर दें।

कुलसचिव

11266